



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



7 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 526 राँची, मंगलवार,

29 अगस्त, 2023 (ई०)

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

संकल्प

23 अगस्त, 2023

विषय:-झारखण्ड राज्य के कैंसर रोगियों की चिकित्सा हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अन्तर्गत टाटा मेडिकल सेन्टर, न्यू टाउन राजार हाट, कोलकाता के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5,00,000/- (पाँच लाख) रु० के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत 20,00,000/- (बीस लाख) रु० तक अर्थात् कुल 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रु० तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी, राँची के साथ MoU के संबंध में।

संख्या-77(4)--स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-351(4) राँची, दिनांक 12.05.2023 के द्वारा झारखण्ड राज्य के कैंसर रोगियों की चिकित्सा हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के अन्तर्गत टाटा मेडिकल सेन्टर, न्यू टाउन राजार हाट, कोलकाता के मनोनयन, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन

आरोग्य योजना के अन्तर्गत 5,00,000/- (पाँच लाख) ₹ के अतिरिक्त विभागीय स्तर से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत 20,00,000/- (बीस लाख) ₹ तक अर्थात् कुल 25,00,000/- (पच्चीस लाख) ₹ तक के चिकित्सा व्यय की स्वीकृति तथा उक्त चिकित्सा संस्थान एवं झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी, राँची के साथ MoU के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के स्तर से स्वीकृति मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की गई थी।

2. उपर्युक्त प्रस्ताव पर दिनांक 11.08.2023 को मंत्रिपरिषद्, झारखण्ड की बैठक में मद संख्या-20 के द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।
